FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0192 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/07/2026 13:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 18/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:50 बजे **Time To (समय तक):** 11:38 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/07/2026 13:04:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 365 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA, BHUPALSAGAR JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BADAMI BAI

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** NARAYAN LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANGRI KE PICHE TALAB KE KINARE, BHUPALSAGAR, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANGRI KE PICHE TALAB KE KINARE, BHUPALSAGAR, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH VISHNOI		पिता:BHAGARAM	1. KERVI,POLICE THANA SANCHOR,JALORE,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 13.03.2026 को समय करीब 04.00 पीएम पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 264 ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के श्री हरिश्चन्द्र सिंह, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोड़गढ़ को प्रस्तुत किया तथा बताया कि परिवादिया श्रीमती बदामी बाई के द्वारा बुलाने पर आपके निर्देशानुसार मैं ब्यूरो कार्यालय से आज 09.15 एएम पर सरकारी डीवीआर मय् खाली मैमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 08 जीबी बरंग काला लेकर रवाना होकर भोपालसागर पहुंचा जहॉ पर परिवादिया उपस्थित मिली। परिवादिया ने बताया कि श्री सुरेश हैड कानि0 अवकाश चला गया है इस कारण आज उससे कोई वार्ता नही हो सकती है। जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादिया से आपकी वार्ता करा कर परिवादिया को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी तथा कहा कि जब भी श्री सुरेश हैड कानि0 बुलावे तब तुरन्त ब्यूरो कार्यालय पर सम्पर्क करें। परिवादिया को भोपालसागर में ही छोड़कर मैं ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया हुं। श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 द्वारा प्रस्तुत डीवीआर को देखा गया तो उसमें कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नही पाया गया। सरकारी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 ने कार्यालय की अलमारी से जुबानी ईत्तला प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कल दिनांक 12.03.2026 को मेरे किसी सम्पर्क वाले व्यक्ति के मार्फत परिवादिया श्रीमती बदामी बाई चित्तौडगढ़ में कार्यालय के बाहर किसी एकान्त स्थान पर मिली थी। जिस पर आपके निर्देशानुसार मैंने वही पर परिवादिया द्वारा दी गई जुबानी ईत्तला अंकित कर आपकी परिवादिया से वार्ता करवा कर परिवादिया को हिदायत कर रूखसत किया था तथा हालात आपको अर्ज किये थे तथा जुबानी ईत्तला लाकर मैंने आपके निर्देशानुसार कार्यालय की अलमारी में रख दी थी। परिवादिया द्वारा दिनांक 12.03.2026 को दी गई जुबानी ईत्तला का अवलोकन किया गया तो उसमें अंकित तथ्य इस प्रकार है कि " आज दिनांक 12.03.2026 को समय 12.50 पीएम पर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई ने ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ़ के बाहर किसी एकान्त स्थान पर उपस्थित होकर जुबानी इत्तला दी कि मैं पढ़ी लिखी नही हुं, मैं बदामी बाई पत्नी नारायण लाल जाति बागरिया निवासी मंगरी के पीछे, तालाब के किनारे भुपालसागर जिला चित्तौडगढ़ की रहने वाली हुं, मेरे बेटे भगवान लाल बागरिया की पत्नी लीला बागरिया है जो मेरे बेटे को छोड़कर पिछले 2-3 महीनो से अपने पीहर रह रही है तथा पुलिस थाना भुपालासगर में मेरे एवं मेरे पुत्र एवं मेरे परिवारजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दे रखी है, जिसकी जॉच पुलिस थाना भुपालसासगर के हैड साहब श्री सुरेश कर रहे है उन्होने मेरे बेटे की बहू लीला व हमारे बीच समझौता करवाने एवं लीला द्वारा हमारे खिलाफ पुलिस थाना भुपालसागर में दी गई रिपोर्ट को उठवाने तथा हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है मैं श्री सुरेश हैड कानि0 को रिश्वत नही देना चाहती हुं बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहती हुं मेरी श्री सुरेश हैड कानि0 से कोई आपसी रंजीश नही है। ना ही कोई उधार का लेनदेन बकाया है। कृपया कानुनी कार्यवाही करावें।" जुबानी ईत्तला को पुनः कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 264 को हिदायत दी गई कि जब भी परिवादिया का कॉल आवे तो मुझे अवगत करा कर परिवादिया के पास जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 264 को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 18.03.2026 को समय करीब 09.00 एएम पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 द्वारा उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादिया के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया है तथा उसने मुझे रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु भोपालसागर बुलाया है। जिस पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु कार्यालय का सरकारी डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड देकर हिदायत दी गई थी कि भोपालसागर में परिवादिया श्रीमती बदामी बाई से सम्पर्क कर उसे डीवीआर को चालु व बन्द करने की विधि की समझाईश कर उसके हमरा जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 को भोपालसागर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 03.00 पीएम पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 बाद सत्यापन कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा रिकार्डिगशुदा सरकारी डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत करते हुए बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर भोपालसागर पहुंचा। जहा पर परिवादिया उपस्थित मिली। परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश की गई। परिवादिया को डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन

कराने हेतु पुलिस थाना भोपालसागर के लिए रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादिया ने आकर बताया कि अभी श्री सुरेश हैड कानि0 थाने पर नही है। जिस पर परिवादिया को आवश्यक हिदायत कर डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु पुनः पुलिस थाना भोपालसागर की तरफ रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादिया वापस आयी जिसने डीवीआर प्रस्तुत किया जिसे बन्द कर अपने पास रखा तथा परिवादिया ने बताया कि मेरी श्री सुरेश हैड कानि0 से बातचित हो गई है। श्री सुरेश हैड कानि0 ने 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 द्वारा परिवादिया से उप अधीक्षक पुलिस से वार्ता करायी तो परिवादिया ने भी उक्त तथ्यों की ताईद की। इस पर परिवादिया को रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय आने की कहा गया, जिस पर परिवादिया ने कहा कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है। मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये लेकर कल सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउगी। इस पर परिवादिया को भोपालसागर में ही छोड़कर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 को रिकॉर्डिग का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड लेकर कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत की गई थी। श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 द्वारा प्रस्तुत डीवीआर में रिकॉर्ड वार्ता को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का स्पष्ट सत्यापन होना पाया गया। श्री सुरेश हैड कानि0 द्वारा परिवादिया श्रीमती बदामी बाई से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है। सरकारी डीवीआर मय रिकार्डिगशुदा मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालत में कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक 19.03.2026 को समय करीब 11.00 एएम पर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई कार्यालय हाजा उपस्थित आयी है। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादिया को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय प्राप्त किया तथा कार्यालय की अलमारी से परिवादिया द्वारा दिनांक 12.03.2026 को श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 को दी गई जुबानी ईत्तला निकलवाकर पढ़कर सुनायी गई तो परिवादिया द्वारा उक्त जुबानी ईत्तला में अंकित सम्पूर्ण तथ्यो की ताईद की तथा परिवादिया को श्री सुरेश हैड कानि0 को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नही हुई है तथा श्री सुरेश हैड कानि0 ने भी अभी मेरे से कोई सम्पर्क नही किया गया। इस कारण मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सोमवार दिनांक 23.03.2026 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउगी। इस पर परिवादिया को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.00 पीएम पर कार्यालय का पत्र क्रमांक 725 दिनांक 19.03.2026 आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ़ के नाम जारी कर गोपनीयता कार्यवाही हेतु दिनांक 23.03.2026 को समय 10.00 एएम पर दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध कराने बाबत् जारी कर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 के साथ भिजवाया गया। समय करीब 04.30 पीएम पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 नगर परिषद चित्तौडगढ़ में उक्त पत्र देकर हाजिर आया। इसके बाद दिनांक 23.03.2026 को समय करीब 11.50 एएम पर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई कार्यालय हाजा उपस्थित आयी है तथा बताया कि मेरे पास अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नही हुई है तथा पैसो की व्यवस्था होने पर मैं स्वयं ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित हो जाउगी। इस पर परिवादिया को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पीएम पर श्री सुनिल कुमार हैड कानि0 ने आयुक्त नगर परिषद चित्तौडगढ़ का पत्र क्रमांक 11643-45 दिनांक 20.03.2026 प्रस्तुत किया। पत्रानुसार दो स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, अधिशाषी अभियन्ता व श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता नगर परिषद चित्तौडगढ़ की ड्युटी लगायी गई है। चूकि परिवादिया के बताये अनुसार अभी ट्रेप कार्यवाही नही हो सकती है। अतः उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर हिदायत की गई कि जब भी गोपनीय कार्यवाही में आवश्यकता होगी तब कॉल करने पर आप ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित होवें। पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 26.05.2026 को समय करीब 04.15 पीएम पर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई कार्यालय हाजा उपस्थित आयी है तथा बताया कि मैं इतने समय से रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाई तथा श्री सुरेश हैड कानि0 ने भी मेरे से कोई सम्पर्क नहीं किया है तथा ना ही मेरे से अब पैसे की मांग कर रहा है। इतना समय गुजर जाने से अब मेरे से वह रिश्वत राशि नहीं लेगा और हमारे खिलाफ मेरे बेटे की बहू ने जो भूपालसागर थाने में रिपोर्ट दी थी, उसकी कार्यवाही भी खत्म हो चुकी है। परिवादी द्वारा दी गई जुबानी इत्तला को पृथक से श्री सुनील कुमार हैड कानि0 से अंकित करवा कर शामिल फाईल की गई। परिवादिया से मजीद दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि श्री सुरेश हैड कानि0 अब मेरे से रिश्वत नहीं मांग रहा है एवं ना ही थाने में मेरा कोई काम बकाया है। अतः आगे ट्रेप कार्यवाही करवाया जाना सम्भव नहीं होने से उक्त कार्यवाही को बंद कराने की कृपा करावें। चूंकि परिवादिया की जुबानी इत्तला एवं उससे की गई मजीद दरियाफ्त के आधार पर उक्त मामले में आगे कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जावेगी। परिवादिया को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.25 पीएम पर दो गवाह की तलबी हेतु पत्र क्रमांक 1357 दिनांक 26.05.2026 जारी कर सुपुर्द कर श्री सुनील कुमार हेड कानि0 264 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तोड़गढ़ के लिये रवाना किया गया। समय करीब 04.40 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा श्री सुनील कुमार हेड कानि0 264 कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तोड़गढ़ से दो गवाह लेकर उपस्थित हुआ। दोनों स्वतन्त्र गवाह को उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री महेन्द्र सिंह रावत पिता श्री बंशी सिंह रावत उम्र 25 वर्ष जाति रावत निवासी गांव हापावास पोस्ट देवरी जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपनिदेशक, बहुउद्देशीय

पशु चिकित्सालय, चित्तौडगढ होना बताया व दूसरे ने अपना नाम श्री नितिन भट्ट पिता श्री बुद्विप्रकाश भट्ट उम्र 32 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी बड़ी मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर 11, बेंगु जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौडगढ होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाह से की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादिया श्रीमती बदामी बाई से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादिया द्वारा दिनांक 12.03.2026 को दी गई जुबानी इत्तला एवं आज दी गई जुबानी इत्तला पढ़ कर सुनाई तथा दिखाई गई। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादिया द्वारा भी जुबानी इत्तला में अंकित तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा दी गई दोनों जुबानी इत्तला पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय का डीवीआर मंगवा कर उसमें लगे सरकारी मैमोरी कार्ड में दिनांक 18.03.2026 को परिवादिया श्रीमती बदामी बाई व संदिग्ध कर्मचारी श्री सुरेश हैड कानि0 के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकार्डिंग के मुख्य अंशों को चला कर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्ठि की। रिश्वत राशि की मांग वार्ता की फर्द ट्रांन्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। समय करीब 04.55 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को समय 11.30 एएम पर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई व आरोपी श्री सुरेश हेड कानि0 पुलिस थाना भूपाल सागर के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे सरकारी मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 08 जीबी बरंग काला में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री दिनेश चन्द्र कानि. 54 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। परिवादिया बदामी बाई व आरोपी श्री सुरेश हैड कानि0 पुलिस थाना भूपालसागर के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.03.2026 के मुख्य अंश निम्न प्रकार है -

श्री सुरेश हैड कानि0 हॅू, ठीक है वो लीला को बुला मैं सब सेटलमेन्ट कर लेउ, बोल तेरे तु क्या कहना चाहती है, बता हॉ,
ठीक है वो लीला को बुला मैं सब सेटलमेन्ट कर लूगा, बोल तेरे तु क्या कहना चाहती है, बता
श्री सुरेश हैड कानि0 का साथी आप क्या चाहते हो वो बताओ आप आप क्या चाहते हो वो बताओ आप
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई अस्पष्ट आवाज..... अस्पष्ट आवाज.....
श्री सुरेश हैड कानि0 यह है मोटा साहब यह है बड़ा साहब
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई हॉ हॉ
श्री सुरेश हैड कानि0 तीन तारा वाला तीन तारा वाला
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई हॉ, मारी सुनाई करजो मारी....हॉ हॉ, मेरी सुनाई करना मेरी... हॉ
श्री सुरेश हैड कानि0 का साथी बोलो तो सही आप कई चाहो तो बताओ बोलो तो सही आप क्या चाहते हो बताओ
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई कई मामला में वात केरिया ने आप पकड़वा मेलवा की वणी छोरा ने छोरी किस मामले में बात कह रहे थे आप पकड़ने की रखने की उस लड़के ने लड़की
श्री सुरेश हैड कानि0 अरे पकड़ा वो तो मुकदमा दर्ज हो रखा है, कई कोनी वो साब लीला बागरिया एक बार वो रिपोर्ट आई थी, हॉ वो तो हो गया, तो उसमें क्या है अपने को इनको उस छोरी को बुलाके आपसी राजीनामा करवाना है। अरे पकड़ा वो तो मुकदमा दर्ज हो रखा है, कई कोनी वो साब लीला बागरिया एक बार वो रिपोर्ट आई थी, हॉ वो तो हो गया, तो उसमें क्या है अपने को इनको उस लड़की को बुलाके आपसी राजीनामा करवाना है।
श्री सुरेश हैड कानि0 का साथी अच्छा, वो उस दिन वो छोरी भगी वोई अच्छा, वो उस दिन वो लड़की भागी वही
श्री सुरेश हैड कानि0 अरे बागरिया की है पर वो भगी नहीं है, यहॉ रिपोर्ट लिखवाने .....गाडियों की आवाज..... इसके हसबैंड के खिलाफ वे सास ससुर के खिलाफ लिखवाई थी। अरे बागरिया की है पर वो भगी नहीं है, यहॉ रिपोर्ट लिखवाने .....गाडियों की आवाज..... इसके पति के खिलाफ वे सास ससुर के खिलाफ लिखवाई थी।
श्री सुरेश हैड कानि0 तो उसका नाम नाराण.....कोटवाल लेकर आ रहा है, फोन की घण्टी की आवाज.....यह साहब है मोटा, उस फाईल में बड़े लोगो से तो लाख-लाख रूपयें लेते है आपसे इतने नहीं लेंगे, फोन पर.... अरे कालु, अरे कालु कहॉ है अरे कालु कोटवाल तो उसका नाम नाराण.....कोटवाल लेकर आ रहा है, फोन की घण्टी की आवाज.....यह साहब है बड़ा, उस फाईल में बड़े लोगो से तो लाख-लाख रूपयें लेते है आपसे इतने नहीं लेंगे, फोन पर.... अरे कालु, अरे कालु कहॉ है अरे कालु कोटवाल
श्री सुरेश हैड कानि0 ठीक, वो पेट्रोल पम्प के पास बैठी है, ठीक है तो उसको फिर हम क्या कहे, तुम बतातो करी उसको रखेगी, हॉ रख लेगी, देखभाल कर लेगी और मैं समझौतो करउॅ या पुरी फाईल ही अपडेट करनी पेड़ी.....तो तु क्या देगी, क्या देगी बता ठीक, वो पेट्रोल पम्प के पास बैठी है, ठीक है तो उसको फिर हम क्या कहे, तुम बतातो सही उसको रखेगी, हॉ रख लेगी, देखभाल कर लेगी और मैं समझौता कराउ या पुरी फाईल ही अपडेट करनी होगी.....तो तु क्या देगी, क्या देगी बता
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई म्हने तो अस्यान समझनी पड़ता है। मुझे तो ऐसे समझ नहीं आता है।

श्री सुरेश हैड कानि0 दस हजार..... मोटा साहब दस हजार.....बड़ा साहब
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई मामला हुदी पुरा मामला समेत
श्री सुरेश हैड कानि0 तेज आवाज मे, दस हजार तेज आवाज मे, दस हजार
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई ओ बाप ओ..... हस्ते हुए.....दस हजार मु कटॅउ लॉउ ओ बाप ओ..... हस्ते हुए.....दस हजार मैं कहा से लाउगी
श्री सुरेश हैड कानि0 अब क्या करे, अब यह है मोटा साहब, मै क्या करू जेल जायेगा। अब क्या करे, अब यह है बड़ा साहब, मै क्या करू जेल जायेगा।
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई दस हजार तो कोनी अबाणु, दो ढाई हजार रिपया लाई..... पचे काले परसु कर देउॅ
दस हजार तो कोनी अबाणु, दो ढाई हजार रूपये लाई..... बाद में कल परसो कर दुंगी।
श्री सुरेश हैड कानि0 ये साब ओ साब, ये तो दो हजार रूपये लाई (साथी से बात) ये साहब, ओ साहब, ये तो दो हजार रूपये लेकर आई (साथी से बात)
श्री सुरेश हैड कानि0 का साथी नहीं, नहीं नहीं, नहीं
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई आप म्हने सुणाओ ने अटै आवो नी आप मुझे सुनाओ यहॉ आओ
श्री सुरेश हैड कानि0 तेज आवाज में.....दस... तेज आवाज में.....दस...
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई दस की आप केरया पण अबाणु तो दो ढाई हजार ही.....दो ढाई हजार तो अबाणु ले लो और कई करू दस की आप कर रहे हो लेकिन अभी तो दो ढाई हजार ही.....दो ढाई हजार तो अभी ले लो और क्या करू
श्री सुरेश हैड कानि0 फोन पे.... हॉ हम आ रहे है, हॉ है..... मैने बोल दिया, बोल दिया ये नहीं मान रही है, मैने दस ये दो ढाई हजार के लिये बोल रही है। दस-दस (तेज आवाज में फोन पर) हॉ, ले उनसे बात कर फोन पे.... हॉ हम आ रहे है, हॉ है..... मैने बोल दिया, बोल दिया ये नहीं मान रही है, मैने दस ये दो ढाई हजार के लिये बोल रही है। दस-दस (तेज आवाज में फोन पर) हॉ, ले उनसे बात कर
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई फोन पर बात करते हुए दस तो अबाणु कोने मारा नाके, मु दो ढाई हजार रूपयां अभी ले लो आप फोन पर बात करते हुए दस तो अभी नहीं है मेरे पास, मैं तो दो ढाई हजार रूपयां अभी ले लो आप
नारायण की आवाज (फोन पर) अबारू दे मती, अबारू खाली पांच सौ रूपया दे दे ज्यो, दुजा रूपया काले दे दिज्ये अभी देना नहीं, अभी पांच सौ रूपयें दे दो, दुसरा रूपया कल दे देंगे।
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई हॉ ये हउॅ, हांची केरया हॉ ये बढिया, सच्ची कह रहे है।
नारायण की आवाज (फोन पर) अबाणु पांच सौ रिपया दूजा रिपया काले दे दिज्ये अभी पांच सौ रूपया, दूसरा रूपया कल दे देना
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई वा वा .....हॉ ठीक है वा वा .....हॉ ठीक है
नारायण की आवाज (फोन पर) मु बुलाउ, जिदाण आ जाज्यो (श्री सुरेश हैड कानि0 से बात करते हुए) मैं बुलाउ, जब आ जाना (श्री सुरेश हैड कानि0 से बात करते हुए)
श्री सुरेश हैड कानि0 अरे कोटवाल साब पॉच सो रिपया कई नी वै, पांच-पांच सौ उॅ कई मतलब है। अरे कोटवाल साहब पॉच सौ रूपये से क्या होता है, पांच-पांच सौ से क्या मतलब है।
नारायण की आवाज (फोन पर) अबारू तो पांच सौ ले लो आप.....दुजा रिपया ये केवे जिदाण में आ जाज्यो.....अस्पष्ट आवाज...मदद करज्यो आप अभी तो पांच सौ ले लो आप.....दुसरा रूपये ये कहेगे जब आ जाना.....अस्पष्ट आवाज.... मदद करना आप
श्री सुरेश हैड कानि0 अबे ये कोटवाली याको भाई तेरे पास में ही रख पांच सौ रूपयें अभी ये कोटवाली याको भाई तेरे पास में ही रख पांच सौ रूपयें
परिवादिया श्रीमति बदामी बाई हॅू हॅू
श्री सुरेश हैड कानि0 तेरे पास ही रख.....कालियो ही भद्दी गाली है उसके मैं पांच.....चलाके आया हॅू। तेरे पास ही रख..... कालिया ही भद्दी गाली है उसके मैं पांच.....चलाके आया हॅू।
तत्पश्चात् समय करीब 05.50 पीएम पर दोनो गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को समय 11.38 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमति बदामी बाई व संदिग्ध आरोपी श्री सुरेश हैड कानि0 के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे सरकारी मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 08 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को तीन पेन ड्राईव केडीएम कंपनी 08 जीबी बरंग सिल्वर में श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से कॉपी करवाया जाकर एक पेन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर माननीय न्यायालय हेतु जिस पर हैश वैल्यू मेमो पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु जिनको एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान

अधिकारी हेतु खुला रखा गया। माननीय न्यायालय के पेन ड्राईव की थैली पर मार्क P अंकित किया गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 06.10 पीएम पर दोनो गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को समय 11.38 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमति बदामी बाई व संदिग्ध आरोपी श्री सुरेश हैड कानि0 के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे सरकारी मैमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी 08 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त मैमोरी कार्ड में कुल 02 रिकार्डिंग फाईल्स है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ की हैश वैल्यु श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से निकलवा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिवीआर से मैमोरी कार्ड निकालकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M अंकित किया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 06.30 पीएम पर वजह सबूत मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा एवं माननीय न्यायालय का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा व आरोपी का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु मालखाना ईन्चार्ज श्री सुनील कुमार हेड कानि0 264 को सम्भलवाया जाकर मालखाने में रखवाया जाकर परिवादिया व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही हेतु परिवादिया श्रीमति बदामी बाई द्वारा दिनांक 12.03.2026 को दी गई जुबानी इत्तला, समस्त कार्यवाही, रनिंग नोट तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन वार्ता इत्यादि में आरोपी श्री सुरेश विश्नोई हाल कॉन्स्टेबल नम्बर 1227 पुलिस थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ को श्री सुरेश हैड कानि0 के रूप में संबोधित किया गया है जबकि आरोपी के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने पर मालूमात् करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी पुलिसकर्मी श्री सुरेश विश्नोई हैड कॉन्स्टेबल नहीं होकर कॉन्स्टेबल पद पर ही थाना भूपालसागर जिला चित्तोड़गढ़ पर पदस्थापित है।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.03.2026 से आरोपी श्री सुरेश विश्नोई हाल कॉन्स्टेबल नम्बर 1227 पुलिस थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती बदामी बाई के पुत्र श्री भगवान लाल बागरिया की पत्नी श्रीमति लीला बागरिया द्वारा पुलिस थाना भूपालसगर में परिवादिया व उसके परिवारजनों के खिलाफ दी गई दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट पर समझौता करवाने एवं रिपोर्ट उठवाने एवं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने की एवज में दिनांक 18.03.2026 को 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने से आरोपी श्री सुरेश विश्नोई हाल कॉन्स्टेबल नम्बर 1227 पुलिस थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुरेश विश्नोई पुत्र श्री भागाराम उम्र 37 वर्ष निवासी केरवी पुलिस थाना सांचोर जिला जालोर हाल कॉन्स्टेबल नम्बर 1227 पुलिस थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। भवदीय,(गोपाल स्वरूप मेवाड़ा)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश विश्नोई पुत्र श्री भागाराम उम्र 37 वर्ष निवासी केरवी पुलिस थाना सांचोर जिला जालोर हाल कॉन्स्टेबल नम्बर 1227 पुलिस थाना भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डाँ सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 217 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1149-52 दिनांक 13.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2- पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/07/2026 16:46:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)